BUREAU OF INDIAN STANDARDS DELHI BRANCH OFFICE – II

Our Ref: DLBO-II/A-85001236

Date: 19-04-2024

DLBO-II has received an application under Option 1 for grant of licence to use of BIS standard mark on the Cabinet Hinges as per IS 18297:2023.

As per the information obtained from BIS Website/ Intranet, Circulars of CMD's to ROs/ BOs, the following is observed:

- 1. No BIS licence exists for the above-mentioned product.
- 2. Marking fee not available for the product.
- 3. Product Manual with SIT & Grouping guidelines not available for the product.
- 4. No test facility exists at any BIS laboratory or any BIS recognized laboratory.
- 5. As per BIS intranet circular, two circulars regarding application for grant of All India first licence are available for IS 18297:2023.

In the view of above, the application may be considered for grant of All India First licence for the above product.

All ROs and BOs are requested to send information regarding the above product by mail with respect to any application pending at their end or any other information which may be helpful to process this application.

CMD-III is requested to provide us with relevant latest guidelines, Marking Fee if any prevailing for the product.

All labs/ LRMD are requested to confirm the availability of testing facilities & testing charges as per IS 18297:2023.

(Satyabrata Bisoi)

Scientist -C

Head (DLBO-IL)

DDG(CRO)

Head (CMD-III)

Head (LRMD)

All RO's & BO's ITSD- For circulation on intranet

भारतीय मानक ब्यूरो दिल्ली शाखा कार्यालय - 11

हमारा संदर्भ: DLBO-II /A-85001236

दिनांक: 19-04-2024

डीएलबीओ-।। को आईएस 18297:2023 के अनुसार कैबिनेट कब्जे पर बीआईएस मानक चिहन का उपयोग करने के लिए लाइसेंस देने के लिए विकल्प 1 के तहत एक आवेदन प्राप्त हुआ है।

बीआईएस वेबसाइट/इंट्रानेट से प्राप्त जानकारी, सीएमडी के आरओ/बीओ को परिपत्रों के अनुसार, निम्नलिखित देखा गया है:

- 1. उपर्युक्त उत्पाद के लिए कोई बीआईएस लाइसेंस मौजूद नहीं है।
- 2. उत्पाद के लिए अंकन शुल्क उपलब्ध नहीं है।
- 3. उत्पाद के लिए एसआईटी और ग्रुपिंग दिशानिर्देशों के साथ उत्पाद मैनुअल उपलब्ध नहीं है।
- 4. किसी भी बीआईएस प्रयोगशाला या किसी बीआईएस मान्यता प्राप्त प्रयोगशाला में कोई परीक्षण स्विधा मौजूद नहीं है।
- 5. बीआईएस इंट्रानेट सर्कुलर के अनुसार, ऑल इंडिया फर्स्ट लाइसेंस प्रदान करने के लिए आवेदन के संबंध में दो सर्कुलर आईएस 18297:2023 के लिए उपलब्ध हैं।

उपरोक्त के मददेनजर, उपरोक्त उत्पाद के लिए ऑल इंडिया फर्स्ट लाइसेंस देने के लिए आवेदन पर विचार किया जा सकता है।

सभी आरओ और बीओ से अन्रोध है कि वे अपने स्तर पर लंबित किसी भी आवेदन या किसी अन्य जानकारी के संबंध में उपरोक्त उत्पाद के बारे में मेल द्वारा जानकारी भेजें जो इस आवेदन को संसाधित करने में सहायक हो सकती है। सीएमडी-॥। से अनुरोध है कि वह हमें प्रासंगिक नवीनतम दिशानिर्देश, मार्किंग शुल्क, यदि उत्पाद के लिए कोई प्रचलित है,

प्रदान करें।

सभी प्रयोगशालाओं/एलआरएमडी से अनुरोध है कि वे आईएस 18297:2023 के अनुसार परीक्षण सुविधाओं और परीक्षण शुल्क की उपलब्धता की पुष्टि करें।

(सत्यब्रत बिसोई)

वैज्ञानिक-सी

प्रमुख (डीएलबीओ-॥) रेंग्ड

उप महानिदेशक (सीआरओ)

प्रमुख (सीएमडी-॥)प्रमुख (एलआरएमडी)

सभी आरओ और बीओ का आईटीएसडी- इंट्रानेट पर संचलन के लिए